पीड़िता को है मुआवजा पाने का अधिकार

बिजय कुमार ठाकुर, रांची

- 20 हजार से तीन लाख तक मुआवजे का है प्रावधान

आपके साथ दुष्कर्म, एसिड हमला और शारीरिक नुकसान हुआ हो तो झारखंड सरकार का विक्टिम कंपनसेशन स्कीम व विक्टिम कंपनसेशन फंड मददगार साबित होगा। अपराधी अज्ञात हो और प्राथमिकी दर्ज करा दी गई हो तो भी पीड़िता या उनके आश्रित को मुआवजा पाने का अधिकार है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपने अध्यक्ष के मार्गदर्शन में ऐसे मामलों को चिह्नित करने के लिए अग्रसर है।

झारखंड सरकार की ओर से सीआरपीसी में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम-2012 का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पीड़ित या उसके आश्रित परिवार को मुआवजे की राशि मिलेगी। डालसा में मामले की जांचोपरांत अग्रसारित करने पर राशि उपायुक्त द्वारा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश एवं अन्य बनाम हरियाना स्टेट के फैसले में किसी तरह की पीड़िता व उन्हें पुनर्वासित करने के लिए भी आंतरिक मुआवजा देने का प्रावधान किया है।

विक्टिम कंपंसेशन फंड : झारखंड सरकार की ओर से विक्टिम कंपनसेशन फंड 2014 भी बनाया गया है। इसमें सजायाफ्ता कैदी के पारिश्रमिक से एक तिहाई पारिश्रमिक काटकर इस फंड में जमा किया जाता है। साथ ही पीड़िता को कोर्ट द्वारा या कमेटी द्वारा निर्धारित की गई राशि मुआवजे के रूप में दी जाती है।

इन स्थितियों में मिलेगा लाभ

यह स्कीम उन व्यक्तियों के लिए होगा, जिनके विरुद्ध अपराध हुए हैं और अपराधी का पता नहीं है। ऐसे में विक्टिम किसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए या गवाही दे, यह चुनौती होता है। दूसरी ओर कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के समय यह प्रतीत हो जाए कि पीड़िता के साथ अपराध हुआ है, लेकिन फैसले तक अपराधी का पता नहीं चल पाए। तीसरी स्थिति में अपराधी को सजा हो जाए और जुर्माने की राशि में से विक्टिम को दिया जा सकता है।

छह माह के भीतर हो सकती है शिकायत

अपराध होने के छह माह के भीतर प्राथमिकी की कॉपी के साथ लिखित शिकायत डालसा में की जा सकती है। डालसा मामले के अनुसंधान पदाधिकारी से अपराध होने की जानकारी मांगेगा। इसके अलावा डालसा (कंपनसेशन) मुआवजे की रकम को लेकर संबंधित कोर्ट से सिफारिश मांग सकता है। अगर व्यक्ति को शारीरिक चोट आई है तो इसके लिए मेडिकल रिपोर्ट, संपत्ति नुकसान होने पर इसके आकलन के ब्योरे के लिए पैनल लॉयर्स से जांच कराई जा सकती है या सीओ, सरकारी अधिकारी आदि से क्षति के आकलन के बाद डालसा मुआवजे की राशि तय करता है। सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद डालसा मुआवजा के लिए जिले के उपायुक्त को अपनी सिफारिश भेजेगा। इसके बाद मुआवजा मिल सकेगा।विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत 20 हजार से लेक तीन लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान है। राशि डालसा केंद्र द्वारा तय की जाएगी। मुआवजा राशि अगर विक्टिम को कम लगता है तो वह झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) में अपील भी कर सकेगा। एसिड हमला के पीड़िता या उनके आश्रित को तीन लाख रुपये मुआवजा का प्रावधान है। हत्या पर दो लाख रुपये, नाबालिग के साथ दुष्कर्म पर 50 हजार, सामान्य दुष्कर्म पर 20 हजार रुपये, पुनर्वासित करने के लिए 20 हजार, 80 फीसद अंग-भंग होने पर 50 हजार रुपये मुआवजे का प्रावधान है। 40 फीसद से कम की नि:शक्तता व मानसिक तनाव, मानव व्यापार होने, बच्चों को साधारण चोट पहुंचने पर दस हजार रुपये के मुआवजे का प्रावधान है।

झारखंड सरकार का विक्टिम कंपनसेशन 2012 व विक्टिम कंपनसेशन फंड रूल 2014 पीड़िता व उनके आश्रित के लिए वरदान है। हत्या, डकैती, दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट से जुड़े रांची जिले से 160 ऐसे मामले चिह्नित किए गए। ये बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक व प्रोबेशन ऑफिसर की ओर से डालसा केंद्र में आए हैं। इसके अलावा 50 आवेदन पीड़िता व उनके आश्रितों ने जमा किए हैं। इनका वेरिफिकेशन कार्य चल रहा है। जनवरी 2016 में मुआवजे की राशि देने की योजना है।

रजनीकांत पाठक, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार।

दुष्कर्म पीड़िता से मिले डालसा सचिव

◆ थाना में घटना की जानकारी ली

जागरण संवाददाता, रांची : प्रधान न्यायायुक्त-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के अध्यक्ष अनंत विजय सिंह के निर्देश पर मंगलवार को डालसा सचिव रजनीकांत पाठक ने दुष्कर्म पीड़िता व उसके परिजनों से बरियातू थाने में मुलाकात की। उनके साथ पीएलवी विक्की चौधरी भी थे। उन्होंने पीड़िता से घटना की जानकारी ली। लीगल एड व विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में जानकारी दी। हर संभव कानूनी मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। बताया कि विधिक सहायता के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। उल्लेखनीय है कि दो लड़कियों के साथ छह युवकों ने बरियातू के बेलमुंडा पहाड़ पर सामूहिक दुष्कर्म किया था।

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी, संवत् 2072 >> रांची

23/12/15

खबर मन्त्र

सबकी बात सबके साथ

दुष्कर्म पीड़िता व उनके परिजनों से मिले डालसा सचिव

रांची। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के अध्यक्ष सह प्रधान न्यायायुक्त अनंत विजय सिंह के निर्देश पर मंगलवा को डालसा सचिव रजनीकांत पाठक ने दुष्कर्म पीड़िता व उनके परिजनों से मुलाकात की। श्री पाठक बरियातू थाना में लोगों से मिले। उनके साथ पीएलवी विक्की कुमार चौधरी भी थे। उन्होंने पीड़िता से घटना की जानकारी प्राप्त की। वहीं लीगल एड व विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में जानकारी दी गयी। उन्होंने हकर संभव कानूनी सहायता पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि लीगल एड लोगों को मुफ्त में दिया जाता है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होता। मुकदमा लड़ने के लिए भी अधिवक्ता दिया जाता है। डालसा केन्द्र में आकर कानून संबंधित जानकारी या मदद ली जा सकती है। इसके लिए यहां आवेदन करना होगा।